The Hindu Plus Summary : 16.02.2024

मेन्स मास्टर

SC ने चुनावी बांड योजना को असंवैधानिक करार दिया

प्रसंग:

• **बढ़ती चिंताएँ**: हाल के वर्षों में, भारतीय राजनीति में पैसे की बढ़ती भूमिका और राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता की कमी के बारे में चिंताएँ बढ़ रही हैं।

• **काले धन का मुद्दा:** काला धन, या अघोषित आय, राजनीतिक दलों के लिए धन का एक महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता था, जिससे भ्रष्टाचार और अनुचित प्रभाव बढ़ता था।

पृष्ठभूमि:

• **योजना की शुरुआत**: 2017 में, सरकार ने राजनीतिक फंडिंग में काले धन पर अंकुश लगाने के उपाय के रूप में चुनावी बांड योजना शुरू की।

• **यह कैसे काम करता है**: व्यक्ति और कंपनियां बियरर बांड के समान, नामित बैंकों से चुनावी बांड खरीद सकते हैं। इन बांडों को गुमनाम रूप से राजनीतिक दलों को दान किया जा सकता है।

• **पारदर्शिता संबंधी चिंताएँ**: इस योजना ने पारदर्शिता की कमी के कारण आलोचना को आकर्षित किया, क्योंकि इसने दानदाताओं की पहचान और दान की गई राशि को छिपा दिया।

इसे चुनौती क्यों दी गई:

• **याचिकाएँ दायर**: योजना की संवैधानिकता को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में विभिन्न याचिकाएँ दायर की गईं।

• **सूचना के अधिकार का उल्लंघन**: याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि गुमनामी ने संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत सूचना के मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया है। मतदाताओं को यह जानने का अधिकार था कि कौन राजनीतिक दलों को वित्त पोषण कर रहा है और संभावित रूप से नीतिगत निर्णयों को प्रभावित कर रहा है।

• **निगमों के लिए अनुचित लाभ**: बड़े दान के साथ निगमों को राजनीतिक दलों और चुनावी प्रक्रिया पर अनुचित प्रभाव देने, संविधान में निहित स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के सिद्धांत का उल्लंघन करने के लिए इस योजना की आलोचना की गई थी।

• **आर्थिक असमानता**: इस योजना को धनी दानदाताओं और निगमों को चुनावों को प्रभावित करने में आम नागरिकों पर महत्वपूर्ण लाभ देकर आर्थिक असमानता को बढ़ावा देने के रूप में देखा गया था।

• **सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बांड योजना को असंवैधानिक क्यों कहा: एक गहन जानकारी**

चुनावी बांड योजना के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का सर्वसम्मत फैसला **पांच प्रमुख स्तंभों** पर आधारित था:

1. सूचना के अधिकार का उल्लंघन:

• न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) में निहित सूचना के मौलिक अधिकार पर जोर दिया। यह अधिकार नागरिकों को राजनीतिक क्षेत्र सहित, सूचित निर्णय लेने के लिए महत्वपूर्ण जानकारी तक पहुंचने की क्षमता प्रदान करता है।

• योजना द्वारा दी गई गुमनामी को इस अधिकार का सीधा उल्लंघन माना गया। मतदाताओं को इस बारे में जानकारी देने से इनकार कर दिया गया कि राजनीतिक दलों को किसने वित्त पोषित किया, संभावित रूप से उनकी पसंद को प्रभावित किया या हितों के टकराव के बारे में चिंताएँ बढ़ाईं।

• अदालत ने तर्क दिया कि निर्वाचित अधिकारियों को जवाबदेह बनाने और नीतिगत निर्णयों पर अनुचित प्रभाव को रोकने के लिए राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता आवश्यक है।

2. अनियंत्रित कॉर्पोरेट प्रभाव:

• अदालत ने महत्वपूर्ण वित्तीय संसाधनों वाले निगमों के पक्ष में, एक असमान खेल का मैदान बनाने की योजना की क्षमता को पहचाना।

• गुमनाम दान देने की निगमों की क्षमता से राजनीतिक दलों के साथ "**क्विड प्रो क्वो**" व्यवस्था हो सकती है, जहां अनुकूल नीतियों या अनुबंधों के लिए दान का आदान-प्रदान किया जाता है। यह स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के सिद्धांत को कमजोर कर सकता है, जहां सभी उम्मीदवारों को वोटों के लिए प्रतिस्पर्धा करने का समान अवसर मिलता है।

• अदालत ने व्यापक मतदाताओं के हितों की अनदेखी करते हुए निगमों द्वारा नीति निर्माण और कानून पर अनुचित प्रभाव डालने की संभावना के बारे में चिंता व्यक्त की।

3. आर्थिक असमानता को बढ़ाना:

• अदालत ने इस तर्क को स्वीकार किया कि इस योजना से अमीर व्यक्तियों और निगमों की तुलना में आम नागरिकों को नुकसान हुआ है।

• बड़े पैमाने पर गुमनाम दान देने की क्षमता ने अमीर दानदाताओं और निगमों को चुनावों को प्रभावित करने में एक महत्वपूर्ण लाभ दिया, जिससे संभावित रूप से छोटे योगदान वाले आम नागरिकों की आवाज़ दब गई।

• इसे संविधान में निहित समानता के सिद्धांत का उल्लंघन माना गया, जहां हर वोट का महत्व आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना समान होता है।

4. काले धन का तर्क खारिज:

• सरकार का यह तर्क कि इस योजना से राजनीतिक चंदे में काले धन पर रोक लगेगी, अदालत ने खारिज कर दिया।

• अदालत ने इस उद्देश्य को प्राप्त करने में योजना की प्रभावशीलता पर सवाल उठाया, यह उजागर करते हुए कि गुमनाम दान अभी भी संभावित रूप से काले धन स्रोतों से उत्पन्न हो सकता है।

• अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि भले ही इस योजना का काले धन पर कुछ प्रभाव पड़ा हो, लेकिन यह सूचना के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करने और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव और आर्थिक समानता के सिद्धांतों को कमजोर करने को उचित नहीं ठहरा सकता है।

• **5. आनुपातिकता का परीक्षण**: अदालत ने संभावित नुकसान के खिलाफ किसी उपाय की वैधता और आवश्यकता का आकलन करने के लिए आनुपातिकता का परीक्षण, एक कानूनी ढांचा लागू किया। इस मामले में, अदालत ने पाया:

वैध उद्देश्य: राजनीतिक फंडिंग में काले धन पर अंकुश लगाने का उद्देश्य वैध माना गया।

उपयुक्तता और आवश्यकता: अदालत ने सवाल किया कि क्या यह योजना इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सबसे उपयुक्त और आवश्यक साधन है। सूचना के अधिकार पर कम प्रतिबंधात्मक प्रभाव वाले वैकल्पिक उपायों का पता लगाया जा सकता है।

आनुपातिकता: अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि पारदर्शिता और लोकतांत्रिक मूल्यों पर योजना का प्रभाव काले धन पर अंकुश लगाने में संभावित लाभों से असंगत था। गुमनामी प्रावधान ने किसी भी लाभ को कम कर दिया, जिससे योजना असंवैधानिक हो गई।

समग्र आउटलुक:

• **ऐतिहासिक फैसला**: सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भारत में राजनीतिक फंडिंग में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में सराहा गया है।

• **चुनौतियाँ और सुधार**: सरकार फैसले को चुनौती दे सकती है या कड़े पारदर्शिता उपायों के साथ एक नई योजना पेश कर सकती है। यह निर्णय भारत में अभियान वित्त सुधार के भविष्य पर सवाल उठाता है।

• **सार्वजनिक बहस की उम्मीद**: इस फैसले से राजनीति में पैसे की भूमिका और समान अवसर सुनिश्चित करने और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए और सुधारों की आवश्यकता के बारे में सार्वजनिक बहस फिर से शुरू होने की संभावना है।

बंधनरहित (The HIndu : Editorial)

फैसले का महत्व:

• **पारदर्शिता और जवाबदेही**: सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भारतीय राजनीति में पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए एक महत्वपूर्ण जीत के रूप में सराहा गया है। यह सूचित मतदाता भागीदारी के महत्व पर प्रकाश डालता है और अघोषित वित्तीय प्रभाव के संभावित खतरों से लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करता है।

• **मतदाता अधिकारों को कायम रखना**: यह निर्णय मतदाता अधिकारों को मजबूत करने और चुनावों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए न्यायालय के चल रहे प्रयासों के अनुरूप है। यह पिछले हस्तक्षेपों पर आधारित है जैसे कि चुनावी हलफनामों पर आपराधिक रिकॉर्ड का खुलासा करना और आपराधिक अपराधों में शामिल कानून निर्माताओं के लिए त्वरित सुनवाई को अनिवार्य बनाना।

खुले प्रश्न और संपादक की राय:

• **पहले की कार्रवाई की संभावना**: संपादक ने सवाल उठाया है कि क्या ईबीएस के तहत धन के संभावित दुरुपयोग को रोकने के लिए न्यायालय पहले हस्तक्षेप कर सकता था। यह लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए समय पर न्यायिक हस्तक्षेप के महत्व पर प्रकाश डालता है।

t.me/pragyeshIASMENTOR Pragyesh IAS pragyesh.org

• **प्रभाव की अज्ञात सीमा**: ईबीएस के माध्यम से अज्ञात दाताओं द्वारा डाले गए प्रभाव की वास्तविक सीमा अज्ञात बनी हुई है। यह राजनीतिक फंडिंग में कड़े पारदर्शिता उपायों की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

• **संपादक की राय**: संपादक इस फैसले को भारत में अधिक पारदर्शी और जवाबदेह राजनीतिक व्यवस्था की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखते हैं। उनका यह भी सुझाव है कि ईबीएस जारी करने पर अंतरिम रोक से अंतिम फैसले से पहले संभावित नुकसान को कम किया जा सकता था।

स्वास्थ्य नीति में विविधता अंधा धब्बा

मुख्य मुद्दा:

• भारत की स्वास्थ्य नीति समितियों में विविधता का अभाव, जिसमें दिल्ली-एनसीआर के पुरुषों, डॉक्टरों, नौकरशाहों और व्यक्तियों का अधिक प्रतिनिधित्व है। इससे स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों और नीतियों पर एक संकीर्ण दृष्टिकोण बनता है जो समावेशी या प्रभावी नहीं हो सकता है।

विविधता की कमी के प्रभाव:

• विविध आवश्यकताओं की सीमित समझ: नीतियों में महिलाओं, भौगोलिक रूप से हाशिए पर रहने वाले समूहों और स्वयं रोगियों जैसे विभिन्न दृष्टिकोणों पर विचार का अभाव है।

• असमानताओं का कायम रहना: समितियों के भीतर वर्तमान शक्ति गतिशीलता कुछ समूहों का पक्ष ले सकती है और मौजूदा स्वास्थ्य असमानताओं को बढ़ा सकती है।

• नैदानिक चिकित्सा पर अत्यधिक जोर: समितियों में डॉक्टरों के प्रभुत्व के कारण निवारक देखभाल और समुदाय-आधारित समाधानों की उपेक्षा।

विशिष्ट चिंताएँ:

• लिंग असमानता: कार्यबल का लगभग आधा हिस्सा होने के बावजूद, केवल 18% महिलाएं स्वास्थ्य पैनल में नेतृत्व की स्थिति रखती हैं।

• भौगोलिक पूर्वाग्रह: दिल्ली-एनसीआर का प्रतिनिधित्व अधिक है, जबकि उत्तर-पूर्वी राज्यों का प्रतिनिधित्व न्यूनतम है।

• नौकरशाही नियंत्रण: सरकारी अधिकारियों का वर्चस्व असहमति की आवाजों को दबा सकता है और सहयोग पर नियंत्रण को प्राथमिकता दे सकता है।

• हितों के संभावित टकराव: ऐसे व्यक्तियों की भागीदारी के बारे में चिंताएं मौजूद हैं जो कुछ नीतिगत निर्णयों से वित्तीय रूप से लाभान्वित हो सकते हैं।

प्रस्तावित समाधान:

• सकारात्मक कार्रवाई: स्वास्थ्य समितियों में महिलाओं और हाशिए पर रहने वाले समूहों के लिए सीटें आरक्षित करना।

• विकेंद्रीकरण: विविध क्षेत्रों से प्रतिनिधित्व को प्रोत्साहित करना और सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देना।

• नेतृत्व प्रशिक्षण: समिति के सदस्यों को नैदानिक चिकित्सा से परे विविध कौशल से लैस करना।

• पारदर्शिता और जवाबदेही: खुली चर्चा सुनिश्चित करना, असहमति के विचारों को दर्ज करना और हितों के टकराव को संबोधित करना।

समग्र संदेश:

• बेहतर स्वास्थ्य परिणाम और न्यायसंगत स्वास्थ्य देखभाल प्राप्त करने के लिए स्वास्थ्य नीति में एक विविध और समावेशी निर्णय लेने की प्रक्रिया की आवश्यकता होती है।

पूजा स्थल और एक अस्थिर न्यायिक चुप्पी

प्रसंग:

• **अधिनियम की स्थापना:** भारत में पूजा स्थलों के धार्मिक चरित्र के संबंध में ऐतिहासिक विवादों को फिर से खोलने से रोकने के लिए 1991 में पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम लागू किया गया था। इसका मतलब यह था कि किसी पूजा स्थल का धार्मिक चरित्र 1947 में उसकी स्थिति के आधार पर निर्धारित किया जाएगा, जिससे पूर्व ऐतिहासिक स्वामित्व या धार्मिक महत्व के आधार पर किसी भी दावे को प्रभावी ढंग से रोक दिया जाएगा।

• **बाबरी मस्जिद फैसला:** 2019 में, सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद मामले पर अपना फैसला सुनाया, पूजा स्थल अधिनियम को बरकरार रखा लेकिन विवादित भूमि मस्जिद के विध्वंस के लिए जिम्मेदार पक्ष को दे दी। इस फैसले ने, अधिनियम के महत्व को स्वीकार करते हुए, इसके पूर्ण कार्यान्वयन के संबंध में कुछ अस्पष्टता भी पैदा की।

पृष्ठभूमि:

• निचली अदालत की चुप्पी: अधिनियम के अस्तित्व के बावजूद, हाल के वर्षों में निचली अदालतों में अधिनियम को चुनौती देने और ज्ञानवापी और शाही ईदगाह जैसी मस्जिदों से हिंदू मंदिरों की "मुक्ति" की मांग करने वाली याचिकाओं की संख्या में वृद्धि देखी गई है। इन याचिकाओं में दावा किया गया है कि ये मस्जिदें हैं ध्वस्त किए गए मंदिरों पर बनाए गए, ऐतिहासिक दावों को फिर से खोल दिया गया जिन्हें अधिनियम को रोकना था। हालाँकि, निचली अदालतें इन याचिकाओं पर काफी हद तक चुप रही हैं, जिससे अधिनियम को बनाए रखने की उनकी प्रतिबद्धता पर चिंताएँ बढ़ गई हैं।

• **सुप्रीम कोर्ट का रुख अस्पष्ट**: इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट का रुख अस्पष्ट रहा है। हालाँकि इसने यह सुनिश्चित किया है कि अधिनियम वैध बना हुआ है, इसने अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिकाएँ भी स्वीकार कर ली हैं। इसके अतिरिक्त, इसकी कुछ टिप्पणियाँ, जैसे "धार्मिक चरित्र का पता लगाने" के बारे में मुख्य न्यायाधीश का बयान, जो अधिनियम का उल्लंघन नहीं करता है, की व्याख्या संभावित रूप से आगे की चुनौतियों के द्वार खोलने के रूप में की गई है।

महत्वपूर्ण मुद्दे:

• **ऐतिहासिक विवादों को फिर से खोलना**: लगातार कानूनी चुनौतियों और निचली अदालतों की चुप्पी से उन ऐतिहासिक विवादों को फिर से खुलने का खतरा है, जिन्हें पूजा स्थल अधिनियम निपटाने के लिए बनाया गया था। इससे धार्मिक समुदायों के बीच नए सिरे से तनाव और संघर्ष पैदा हो सकता है।

• **अधिनियम के उद्देश्य को कमजोर करना**: अधिनियम के आवेदन के आसपास अस्पष्टता और स्पष्ट न्यायिक घोषणाओं की कमी इसके अधिकार को कमजोर करती है और शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के इसके इच्छित उद्देश्य को कमजोर करती है।

• **राजनीतिक शोषण की संभावना**: इन याचिकाओं का उपयोग कुछ राजनीतिक समूहों द्वारा अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए उपकरण के रूप में किया जा रहा है, खासकर 2024 के चुनावों से पहले। इससे धार्मिक विभाजन बढ़ सकता है और भय और अनिश्चितता का माहौल बन सकता है।

चिंताओं:

• **अधिनियम को निरस्त करना**: यदि अधिनियम को प्रभावी ढंग से बरकरार नहीं रखा जाता है, तो इसे भविष्य में निरस्त किया जा सकता है, जिससे ऐतिहासिक विवाद पूरी तरह से फिर से खुल जाएंगे और संभावित रूप से हिंसा और अशांति भड़क सकती है।

• **धर्मनिरपेक्षता का क्षरण**: अधिनियम के कमजोर होने और धार्मिक तनाव बढ़ने से भारत की धर्मनिरपेक्ष नींव को खतरा हो सकता है, जिससे अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकार और सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है।

• **धार्मिक सद्भाव पर प्रभाव**: चल रही कानूनी चुनौतियाँ और स्पष्ट न्यायिक रुख की कमी एक अस्थिर और अनिश्चित वातावरण बनाती है, जिससे संभावित रूप से धार्मिक शत्रुता और हिंसा में वृद्धि होती है।

न्यायपालिका की भूमिका:

• **अधिनियम को कायम रखना**: सर्वोच्च न्यायालय को पूजा स्थल अधिनियम और उसके सिद्धांतों के समर्थन में एक मजबूत और स्पष्ट संदेश भेजने की आवश्यकता है। इसमें स्पष्ट घोषणाएं जारी करना शामिल हो सकता है जो अधिनियम की वैधता और सभी मामलों में इसके आवेदन की पुष्टि करते हैं।

• निचली अदालत की कार्रवाई: निचली अदालतों को सक्रिय रूप से अधिनियम को लागू करना चाहिए और उन याचिकाओं को खारिज करना चाहिए जो इसके प्रावधानों को चुनौती देती हैं या ऐतिहासिक विवादों को फिर से खोलने का प्रयास करती हैं।

• **मिसाल कायम करना**: इन मामलों में न्यायपालिका के फैसले धार्मिक दावों और ऐतिहासिक विवादों से जुड़े भविष्य के संघर्षों के लिए महत्वपूर्ण मिसाल कायम करेंगे।

आगे बढ़ने का रास्ता:

• **मजबूत न्यायिक घोषणाएँ**: सर्वोच्च न्यायालय को स्पष्ट और निश्चित निर्णय जारी करने की आवश्यकता है जो पूजा स्थल अधिनियम को बरकरार रखें और आगे की चुनौतियों को रोकें।

• **सार्वजनिक प्रवचन**: शांति और स्थिरता बनाए रखने में अधिनियम के महत्व के प्रति समझ और सम्मान को बढ़ावा देने के लिए खुला और समावेशी सार्वजनिक प्रवचन महत्वपूर्ण है।

• **संवैधानिक सुरक्षा उपाय**: धार्मिक अल्पसंख्यकों और उनके पूजा स्थलों के लिए कानूनी और संवैधानिक सुरक्षा उपायों को मजबूत करना उनके अधिकारों को सुनिश्चित करने और भेदभाव को रोकने के लिए आवश्यक है।

प्रीलिम्स बूस्टर

कोसोवो को शेंगेन अनुमोदन में देरी का सामना क्यों करना पड़ा?

- 🇽🇰 **कोसोवो के शेंगेन अनुमोदन में देरी**: शेंगेन अनुमोदन के लिए कोसोवो के आवेदन को यूरोपीय संघ के कई सदस्यों के कड़े विरोध के कारण देरी का सामना करना पड़ा, जो कोसोवो की सर्बिया से स्वतंत्रता की 2008 की एकतरफा घोषणा को मान्यता नहीं देते हैं, यूरोपीय आयोग द्वारा 2018 में प्रवेश के लिए प्रिस्टिना की तैयारियों को मंजूरी देने के बावजूद।

- 🌍 **कोसोवो की शेंगेन पहुंच में योगदान देने वाले कारक**: शेंगेन क्षेत्र में वीज़ा-मुक्त पहुंच प्राप्त करने का कोसोवो का ऐतिहासिक विकास अवैध प्रवासन और भ्रष्टाचार से निपटने के लिए इसकी तत्परता के साथ-साथ कई यूरोपीय संघ के सदस्यों और वैश्विक द्वारा गैर-मान्यता से उत्पन्न होने वाले भू-राजनीतिक निहितार्थों से प्रभावित था। रूस और चीन जैसी शक्तियाँ।

- 🤔 **शेंगेन प्रवेश में जटिलताएँ**: कोसोवो के लिए शेंगेन प्रवेश में जटिलताएँ संयुक्त राष्ट्र द्वारा दी गई कानूनी राज्य की कमी और कुछ यूरोपीय संघ के सदस्यों के विरोध के कारण हैं, जो वीज़ा-मुक्त पहुंच के लिए अनुमोदन प्राप्त करने से जुड़ी भू-राजनीतिक और राजनयिक चुनौतियों को उजागर करती हैं।

- 🌐 **शेंगेन और यूरोपीय संघ**: जबकि शेंगेन प्रवेश यूरोपीय संघ के सदस्यों के लिए अनिवार्य नहीं है, यह यूरोपीय एकीकरण के लिए महत्वपूर्ण महत्व रखता है, यात्रा की स्वतंत्रता प्रदान करता है और युद्ध के बाद यूरोपीय परियोजना की सफलता के प्रतीक के रूप में कार्य करता है।

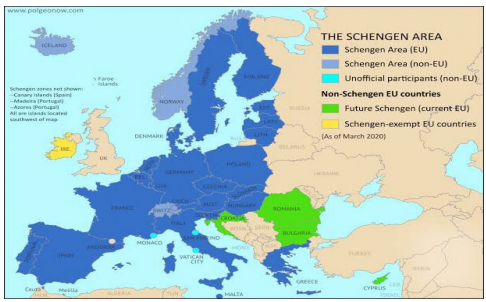

- 🌍 **यूरोपीय संघ की सीमा-मुक्त नीति**: शेंगेन के तहत यूरोपीय संघ की सीमा-मुक्त नीति किसी भी देश के नागरिकों के लिए लाभ प्रदान करती है, जो एकल शेंगेन वीजा के साथ सीमा रहित क्षेत्र के भीतर यात्रा करने की स्वतंत्रता प्रदान करती है, और यूरोपीय एकीकरण और एकता का प्रतीक है।

छऊ नृत्य

'- 🎭 छऊ नृत्य: एक नकाबपोश अर्ध-शास्त्रीय भारतीय नृत्य शैली, जो पूर्वी भारत में उत्पन्न हुई, विशेष रूप से ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों में, जो अपने जोरदार आंदोलनों, कलाबाजी और मुखौटों और वेशभूषा के अभिव्यंजक उपयोग के लिए जाना जाता है।
- 🏛️ इतिहास और उत्पत्ति: छऊ नृत्य की सटीक उत्पत्ति अनिश्चित है, सिद्धांत 9वीं और 16वीं शताब्दी के बीच मार्शल आर्ट परंपराओं और आदिवासी अनुष्ठानों के प्रभाव का सुझाव देते हैं। परंपरागत रूप से पुरुषों द्वारा किए जाने वाले इस प्रदर्शन में हाल के वर्षों में महिलाओं ने भी भाग लेना शुरू कर दिया है।

'Connecting India'

Purulia Chhau, a folk dance from Bengal, being performed by Tarapada Rajak and team, at a college in Kozhikode on Thursday. K. RAGESH

- 💃 छऊ की शैलियाँ: छऊ नृत्य की तीन मुख्य शैलियाँ हैं, जिनमें से प्रत्येक में अनूठी विशेषताएं हैं:
  - सरायकेला छाऊ: झारखंड में उत्पन्न, देवी-देवताओं, राक्षसों और जानवरों को चित्रित करने वाली सुंदर गतिविधियों और पपीयर-मैचे मुखौटों के लिए जाना जाता है।
  - पुरुलिया छाऊ: पश्चिम बंगाल में उत्पन्न हुआ, जो शक्तिशाली और कलाबाजी के लिए जाना जाता है, जिसमें लकड़ी के मुखौटे पर डरावने योद्धाओं और देवताओं को दर्शाया गया है।
  - मयूरभंज छाऊ: ओडिशा में उत्पन्न, शैलीबद्ध और अमूर्त मुखौटों के साथ कहानी कहने और अभिनय पर जोर देता है।

- 🎪 प्रदर्शन: आम तौर पर एक बड़े मंच पर बाहर प्रदर्शन किया जाता है, जिसमें विभिन्न पात्रों और देवताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले रंगीन वेशभूषा और विस्तृत मुखौटे होते हैं, साथ ही ढोल, शहनाई और मोहरी जैसे वाद्ययंत्रों पर पारंपरिक संगीत बजाया जाता है।
- 🎭 विषय-वस्तु: छऊ नृत्य अक्सर हिंदू पौराणिक कथाओं, रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों और स्थानीय लोककथाओं के विषयों को दर्शाता है, अच्छाई बनाम बुराई, प्रेम और हानि, और प्रकृति की शक्ति जैसे धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष विषयों की खोज करता है।
- 🌍 महत्व: पूर्वी भारत की सांस्कृतिक विरासत का एक अभिन्न अंग, छऊ नृत्य एक जीवंत और गतिशील कला रूप है जिसे मानवता की यूनेस्को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता प्राप्त है, जो बदलते समय के साथ विकसित और अनुकूलित होता रहता है।

अधिकारी का कहना है कि भारत ने डेटा विशिष्टता के लिए एफटीए की मांगों को खारिज कर दिया

- 🇮🇳 भारत की डेटा विशिष्टता की अस्वीकृति: भारत ने देश के जेनेरिक दवा उद्योग पर प्रभाव के बारे में चिंताओं का हवाला देते हुए, एक मुक्त व्यापार समझौते की दिशा में यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (ईएफटीए) के साथ चल रही चर्चा के हिस्से के रूप में 'डेटा विशिष्टता' की मांग को खारिज कर दिया है। और सस्ती दवाओं की उपलब्धता।
- 💊 जेनेरिक दवा उद्योग पर प्रभाव: डेटा विशिष्टता मसौदा समझौते के एक खंड से संबंधित है जो नैदानिक परीक्षण डेटा पर न्यूनतम छह साल का प्रतिबंध लगाता है, जो संभावित रूप से भारतीय जेनेरिक दवा उद्योग द्वारा महंगी दवाओं के किफायती संस्करणों के उत्पादन में बाधा डालता है।
- 🌍 लगातार मांगें: 2008 से यूरोपीय संघ और ईएफटीए द्वारा डेटा विशिष्टता की मांग लगातार उठाई जा रही है, लेकिन भारत द्वारा इसे लगातार खारिज कर दिया गया है, जो कि अपने जेनेरिक दवा उद्योग के हितों की रक्षा के लिए देश की प्रतिबद्धता पर जोर देता है।

तकनीकी मंदी

- 📉 तकनीकी मंदी: मंदी की सबसे आम परिभाषा, जो अक्सर मीडिया में उपयोग की जाती है, वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में लगातार दो तिमाहियों में नकारात्मक वृद्धि की विशेषता है, जैसा कि ऑस्ट्रेलिया के आर्थिक इतिहास में देखा गया है। इस परिभाषा का पत्रकारों द्वारा व्यापक रूप से उपयोग किया गया है और यह आर्थिक मंदी का एक प्रमुख संकेतक है।
- 📊 परिभाषा की कमियां: कमजोर जीडीपी वृद्धि, भले ही नकारात्मक न हो, फिर भी बेरोजगारी और घरेलू कठिनाई में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है, जो मंदी के संकेतकों के लिए पूरी तरह से जीडीपी वृद्धि पर निर्भर रहने की सीमाओं को उजागर करती है। यह अर्थव्यवस्था के समग्र स्वास्थ्य का आकलन करने के लिए जीडीपी वृद्धि से परे व्यापक आर्थिक संकेतकों पर विचार करने की आवश्यकता पर जोर देता है।
- 📈 अस्थिरता और डेटा संशोधन: कुछ जीडीपी घटकों की अस्थिरता और डेटा संशोधन की संभावना आर्थिक विकास की अंतर्निहित गति के बारे में गलत संकेत दे सकती है, क्योंकि नकारात्मक विकास के आंकड़ों को संशोधित किया जा सकता है या सकारात्मक आंकड़े नकारात्मक हो सकते हैं। यह अल्पकालिक जीडीपी डेटा की व्याख्या करते समय सावधानी बरतने की आवश्यकता और दीर्घकालिक रुझानों पर विचार करने के महत्व को रेखांकित करता है।
- 📈 वैकल्पिक उपाय: कुछ टिप्पणीकार आर्थिक विकास के वैकल्पिक उपायों पर विचार करते हैं, जैसे कि प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद में लगातार तिमाहियों में नकारात्मक वृद्धि या कृषि क्षेत्र जैसे अस्थिर क्षेत्रों को छोड़कर, आर्थिक विकास में नरमी या प्रवृत्ति के नीचे विकास की अवधि का आकलन करने के लिए। यह आर्थिक प्रदर्शन और संभावित मंदी की व्यापक समझ हासिल करने के लिए कई संकेतकों का उपयोग करने के महत्व पर प्रकाश डालता है।

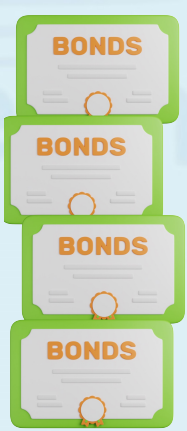

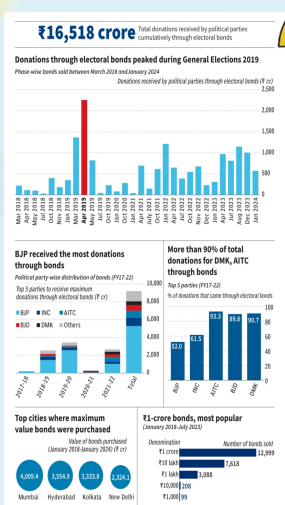

संख्या में

t.me/pragyeshIASMENTOR Pragyesh IAS pragyesh.org